(9)

R 5008-पी/115

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

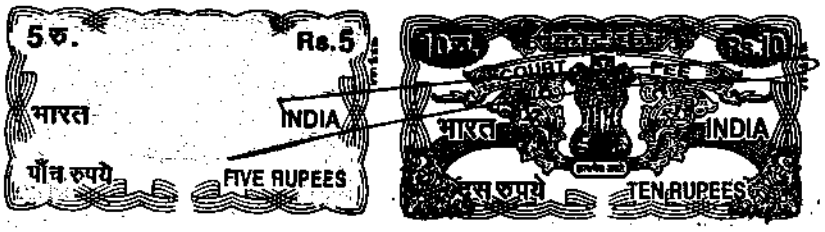

गोविन्द पिता लाले हलवाई निवासी ग्राम खटाई तहसील चितरंगी जिला सिंगरौली (म0प्र0)

...................आवेदक

बनाम

भगवान पिता हिन्छलाल गुप्ता निवासी ग्राम खटाई तहसील चितरंगी जिला सिगरौली (म0प्र0)

...................अनावेदक

अजंती कुमार सोनी 25-8-15 द्वारा प्रस्तुत किया गया सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश व निर्णय अपर कलेक्टर जिला सिंगरौली (म0प्र0) के प्रकरण क्र./15/निगरानी/12–13 में पारित आदेश दिनांक 07.08.2015

आवेदन अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–रा0सं0 1959

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य निम्न है :–

यह कि भूमि खसरा नम्बर 28 रक़्वा 5.00 एकड़ स्थित ग्राम ओड़नी तहसील चितरंगी जिला सिंगरौली का सहायक बंदोबस्त अधिकारी चितरंगी दल क्रमांक 4 ने प्रकरण क्रमांक 23/अ 74/98–99 में दिनांक 21.11.1998 को आवेदक को भूमिस्वामी के रूप में राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज करने का आदेश पारित किया, किन्तु बंदोबस्त सर्वेक्षण कार्य के समाप्ति की अधिसूचना के बाद प्रभावशील अधिकार अभिलेख के परिपेक्ष्य में तैयार किये गये भू–अभिलेखों में आवेदक के नाम की प्रविष्ट न होने के फलस्वरूप आवेदक तहसीलदार तहसील चितरंगी के न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें तहसीलदार चितरंगी ने प्रकरण क्रमांक 38/अ–74/2001–02 के रूप में पंजीबद्ध कर पटवारी प्रतिवेदन स्थल टीप स्थल पंचनामा के साथ न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसमें तहसीलदार चितरंगी ने आवेदक का मौके पर कब्जा पाये जाने के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 5008–दो/15 जिला –सिंगरौली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14.7.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री अंजनी कुमार सोनी उपस्थित । उन्हें प्रकरण की कायमी पर तर्क सुने । निगरानी में पर्याप्त आधार होने से निगरानी ग्राह्य की जाती है । ~~अनावेदक को सूचना दी जावे। अभिलेख की मांग की जावे।~~ ~~पेशी दिनांक~~ ~~कैम्प रीवा~~ सदस्य	

क्रमशः